International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सूचना का अधिकार : व्यावहारिकता से परे

सीमा सोनी
शोधार्थी,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राजस्थान)

सार

अधिकार ही मानव के सामाजिक जीवन के उन्नयन को दिशा प्रदान करता है। मानव जीवन के पूर्ण विकास के लिए जो अधिकार सहायक है, उन्हें मौलक अधिकार कहा जाता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धारा 19(1)(ए) में भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है। अभिव्यक्ति का यह अधिकार सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता से भी सम्बन्धित है। इसी स्वतंत्रता का व्यावहारिक पक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है जो सरकारी ढांचे में सूचनाओं को सूत्रबद्ध करने, उनको जनहित में प्रकाशित करने, शासन व प्रशासन में पारदर्शिता लाने व जनसहभागिता बढ़ाने से सम्बन्धित है। सूचना का अधिकार राष्ट्र के सर्वांगीण विकास तथा समानता के रास्ते में बाधाएं डालने वाली शक्तियों पर नियंत्रण लगाने में सहायक है।

यह शोध पत्र सूचना के अधिकार के मूल उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं व उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है।

की–वर्ड : सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, सहभागिता, सूचना के अधिकार से सम्बन्धित समस्याएँ व सुझाव, प्रभावी क्रियान्वयन

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता उसकी परिभाषा की व्याख्या में निहित है अर्थात् "जनता" इस शासन प्रणाली का आदि और अंत है। प्रत्येक संघीय सरकार का उद्दश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का होता है अर्थात् विकास गंगा का प्रवाह सदैव समाज के पिछड़े वर्गों से प्रारम्भ होता है, परन्तु यह तभी सम्भव है जब नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिए जायें। संविधान निर्माताओं ने भी शासन के इस आत्म–तत्त्व को संविधान में शामिल किया तथा नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के साधन के रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किये। अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मूलाधार है।

जनता की शासन में अधिकाधिक सहभागिता उसका नैसर्गिक अधिकार भी है तथा एक स्वच्छ एवं पारदर्शा प्रशासन का आधार भी है। प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तभी सम्भव है जब सरकार अपने द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों की जानकारी जनता या उससे प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराये तभी वास्तविक अर्थों में सुशासन की स्थापना सम्भव है।

हमारे देश में भी नागरिकों को संविधान द्वारा कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं परन्तु सूचना प्रदत्त करने की व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे में उपलब्ध नहीं थी। विभिन्न संस्थाओं, नागरिकों एवं जन आंदोलनों ने इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और यह बताया कि प्रशासन मे पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सूचना का अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए। इन आंदोलनों के माध्यम से यह बात स्पष्ट की गई कि यदि सरकार द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप नियमानुसार सही है तो अपने नागरिकों को वांछित सूचनाओं को देने में नहीं हिचकना चाहिए और लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्था करना वहाँ की सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत के राजपत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रवर्तन 15 जून, 2005 को किया। इस अधिनियम ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जनता द्वारा चाही गई सूचनाओं को देने के लिए विवश कर दिया है। सभी सरकारी कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है तथा एक सामान्य नागरिक किस प्रकार स्ूचना को प्राप्त कर सकता है, इसकी विस्तृत कार्यप्रणाली तय कर दी गई है।

आज के समय में सूचना का अधिकार किसी भी राष्ट्र में सुशासन की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण अंग एवं माध्यम बन गया है। दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों से किसी न किसी नागरिक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित जुड़ा रहता है। अतः जहाँ पर किसी भी नागरिक के हितों की अनदेखी हुई है या जहाँ जनता के हितार्थ किए गए प्रशासनिक क्रियाकलापों में भ्रष्टाचार किया जा रहा हो नागरिक या समूह सूचनाओं के माध्यम से प्रशासनिक क्रियाकलापों की समस्त सूचनाएं प्राप्त कर सकता है तथा ऐसे भ्रष्टाचार एवं नैतिक अपराधों पर नियंत्रण कर सकता है। सुशासन का अर्थ भी यही है कि सरकार जनसाधारण के हितों की उचित समय पर और प्रभावशाली ढंग से रक्षा कर सके तथा जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कुशल सेवाएँ नागरिकों को प्रदान कर सके।

आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। समय की उपयोगिता तथा नागरिकों के बढ़ते हुए महत्त्व के कारण सूचना के अधिकार को वैश्विक स्तर पर संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य

सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य मुख्यतः लोकतंत्र को परिपक्व एवं परिष्कृत करके जन–भागीदारी को सुनिश्चित करने, सरकारी काम–काज में खुलापन एवं पारदर्शिता लाने, सरकार की जवाबदेही बढ़ाने एवं वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के मूल मुद्दों से जुड़े हैं।

सूचना के अधिकार अथवा जानने के हक की माँग मूलतः एक सुधारवादी माँग है। इस माँग का सम्बन्ध व्यवस्था के बुनियादी बदलाव से चाहे न हो लेकिन इससे निष्क्रिय एवं सुस्त हो चुके तंत्र में नवशक्ति का संचार होगा तथा सरकारी तंत्र में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा काम–काज में होने वाली अनियमितताओं को पकड़ा जा सकेगा। सूचना के अधिकार के उद्देश्य निम्नांकित हैं –

(1) प्रशासन को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना।

(2) लोक अधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाना।

(3) शासकीय सूचनाओं की गोपनीयता तथा सूचना के अधिकार में सामंजस्य स्थापित करना।

(4) प्रशासनिक निर्णय–निर्माण में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करके जनहित को प्रोत्साहित करना।

(5) सुशासन की स्थापना करना।

(6) लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में रखी सूचना तक आम नागरिक की पहुँच निश्चित करना।

(7) लोक प्रशासन मे अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करना।

(8) व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करना।

(9) प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना।

(10) प्रशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(11) शासकीय अभिलेखों का संधारण आवश्यक बनाना।

(12) लोक सेवकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के अवसरों को कम करना।

(13) प्रशासनिक निर्णयों में तार्किकता तथा तटस्थता बढ़ाना।

सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली समस्याएँ

भारत में सूचना के अधिकार कानून द्वारा ऐसी अनेक सूचनाएं बाहर आई हैं जो सूचना के अधिकार अधिनियम के बिना सम्भव नहीं थी। सूचना निकालने में समय जरूर लगता है लेकिन कई बार प्रभावकारी सूचनाएं निकल आती हैं। यह कानून आम आदमी के लिए है और लोग इसके जरिए छोटी–छोटी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं।

राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून से बदलाव आया है और भ्रष्टाचार को नकेल लगाने वाले इस अधिनियम से जनता का सशक्तीकरण हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अधिनियम के लागू होने से अब तक इसके प्रति जागरूकता प्रभावी ढंग से बढ़ी है, परन्तु इसके साथ–साथ इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में अनेक समस्याएं इसके साथ खड़ी होती जा रही है जिससे इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अड़चने आ रही है।

1. जनजागरूकता का अभाव

सूचना के अधिकार के सफल क्रियान्वयन में पहली चुनौती है – जनता में जागरूकता का अभाव, विशेष रूप से दूर–दराज के स्रातों व पिछड़े वर्गों में आज भी जनता इस अधिकार से अनभिज्ञ है। ग्रामीण स्तर के जनप्रतिनिधियों में इस अधिनियम के प्रति जागरूकता का अभाव रहता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में वे इसके क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेते हैं। अधिकांशतः नागरिकों को सम्बन्धित कायालयों की भी जानकारी नहीं होती है और न ही उनके जानकारी के लिए किसी प्रकार के औपचारिक साधन हैं, जिससे नागरिकों को जन सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों व विभाग की उचित जानकारी मिल सके।

2. कानूनी प्रावधानों की अस्पष्टता

सूचना के अधिकार से सम्बन्धित नियमों एवं अधिनियमों की भाषा अत्यन्त कलिष्ट है, जो साधारणजन ही नहीं अपितु कई मामलों में उच्च शिक्षित व्यक्तियों के समझ से भी परे होती है। कानूनी प्रावधानों की अस्पष्टता से निरक्षर व गरीब आमजन इसके लाभ से वंचित हैं। आवेदकों को सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रश्नों व जवाबों में ऐसा उलझा दिया जाता है कि वह उच्च स्तर पर अपील करें, मामला उलझे, विलम्ब हो, तब तक वह अभिलेखों में हेर–फेर करने में सफल हो जाता है या अपने बचाव के अवसर बना लेता है।

3. पारदर्शिता से परहेज

राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में एक मुख्य समस्या यह है कि राजस्थान में आज भी पारदर्शिता से परहेज किया जाता है। एक आम नागरिक किसी भी कार्यालय में जाकर कोई भी जानकारी की माँग करे या निश्चित शुल्क देकर सूचना की छायाप्रति की माँग करे तो यह जमीनी हकीकत है कि सरलता से जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। आवेदकों को कभी–कभी प्रशासक वर्ग द्वारा अपमानित भी किया जाता है। आमतौर पर दिन–प्रतिदिन सरकारी कार्यों के प्रति आम आदमी के मन में उदासीनता रहती है। वस्तुतः राज्य प्रशासन में आमजन की सहभागिता विकसित न हो पाना एक बड़ी चुनौती है।

4. वैधानिक घोषणा का अभाव

सूचना के अधिकार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू कानून की धारा 4(1)(क) के तहत 17 श्रेणियों की सूचनाएं बिना नागरिक की माँग के स्वतः आगे बढ़कर प्रकाशित करनी थी। उसे समय–समय पर अद्यतन भी करना था। दुर्भाग्यवश यह अपेक्षा औपचारिकता मात्र रह गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुए 14 वर्ष हो चुके हैं परन्तु आज भी इसको प्रभाव बनाने के लिए कोई विशेष विधियों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। राज्य के कई ग्राम पंचायत कार्यालय और शासकीय स्कूलों में सूचना देने वाला नाटिस बोर्ड नहीं है जो कि आम नागरिक का मार्गदर्शन कर सके।

5. शुल्क के संदर्भ में अनिश्चितता

सूचना के अधिकार के तहत सूचना के शुल्क के संदर्भ में अलग–अलग मत है। सामान्यतः यह फीस 10 रुपए है, किन्तु कुछ मामलों में यह 500 रुपए रखी गई है। आवेदन शुल्क का यह मनमाना निर्धारण नागरिक के सूचना पाने के अधिकार का हनन है। सूचना के लिए जो सैम्पल, फोटो कोपियों का

शुल्क है उसके लिए 'फरदर फीस' शब्द का प्रयोग किया गया है। कानून में निर्धनता से नीचे (बीपीएल) के व्यक्तियों से फीस लेने की मनाही है लेकिन 'फरदर फीस' के संदभ में निर्णय नहीं किया गया है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी का सीमित प्रयोग

सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में केवल कुछ ही राज्यों ने सूचना के अपील से सम्बन्धित जानकारी हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रारम्भ किया है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग इसमें सम्मिलित हैं परन्तु यह प्रयोग सीमित व धीमा है। सूचना के अधिकार के सरल व सर्वव्यापी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि लोक सूचना अधिकारी चाही गई सूचना को फोटोकॉपी या सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनता को उपलब्ध करायी जाए। यह सुविधा जिला स्तर तक आसानी से उपलब्ध हो जाती है परन्तु ब्लॉक/पंचायत स्तर पर जानकारी प्राप्त करना एक चुनौती है। यहाँ बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कानून के विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

7. प्रशिक्षण का अभाव

किसी भी कानून या अधिकार को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सूचना देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को कानून के प्रावधानों की पूर्ण जानकारी तथा अपनायी जाने वाली कार्य प्रक्रिया का ज्ञान हो। राज्य स्तर पर आवेदनों के निस्तारण हेतु सरल चुस्त व विकल्प आधारित प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण का अभाव है। विभिन्न विभागों में नियुक्त लोक सचना अधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाना सरकारी स्तर पर हो रही उदासीनता का परिचायक है। अधिनियम के सम्बन्ध में समय–समय पर होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में भी पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। प्रशिक्षण के अभाव में राज्य सूचना आयोग तकनीकी रूप से विकसित नहीं हो पाया है।

8. सूचना के अधिकार का नागरिकों द्वारा दुरुपयोग

आवेदकों द्वारा जन सूचना अधिकारी से व्यक्तिगत द्वेष या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य सूचना आयोग में आने वाले प्रकरणों में कई प्रकरण ऐसे हैं जो लोक सेवका को डराने हेतु अनावश्यक रूप से मानसिक परेशानी पैदा करने हेतु, औचित्यहीन सूचनाएं माँगकर समय की बर्बादी करने हेतु, व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित तथा तृतीय पक्ष की जानकारी प्राप्त करने हेतु होते हैं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा वर्तमान में कार्यरत जनप्रतिनिधिया के विरुद्ध अनावश्यक आरोप लगाने हेतु भी इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है। कई अवसरों पर सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य केवल प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में लाना तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बेबुनियाद आरोप–प्रत्यारोप लगाना होता है।

9. मुख्यालय की भौगोलिक दूरी

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। जयपुर जिले से दूर–दराज के इलाकों से सूचना प्राप्ति तथा अपीलों के निस्तारण हेतु आना–जाना आमजन के लिए कठिन कार्य है। किसान या मजदूर वर्ग के लिए यह आर्थिक रूप से भी जटिल है। जिस प्रकार राज्य में उच्च लोक सेवाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान मुख्य संस्थान है परन्तु इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी है। जहाँ नजदीकी जिलों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सुविधानुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सूचना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के अभाव में अधिकांश मामले अप्रभावी रूप से निरस्त हो जाते हैं साथ ही राज्य सूचना आयोग के मुख्यालय पर कार्यभार बढ़ता है।

10. आमजन के प्रति असहयोग

राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों का दृष्टिकोण स्वयं के शासक होने के नजरिए से ग्रसित है जबकि वास्तव में वे लोक सेवक हैं। परन्तु वे जनता की उदासीनता व अज्ञानता का लाभ उठाने में दक्ष हो गए हैं। इनकी यह प्रवृति सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधक बनती है। आवेदक द्वारा माँगी गई जानकारी में लोक प्राधिकारी द्वारा अधिकांशतः यह कह कर जानकारी देने से इनकार किया जाता है कि दी गई जानकारी का आवेदक द्वारा दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है। लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदक को नियमों में उलझा कर अनावश्यक विलम्बा कर हतोत्साहित कर दिया जाता है। राज्य सूचना आयोग में किसी प्रकरण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने में अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है।

सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव

सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जनता के हाथ में ऐसे शस्त्र के समान है, जो लोकतांत्रिक शासन को जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाएगा। सूचना के अधिकार की सफलता एवं इसे जन–जन तक पहुँचाने के लिए नीतिगत एवं व्यवस्थागत प्रयास आवश्यक है। अतः सूचना के अधिकार को प्रभावी एवं असरदार बनाने हेतु आवश्यक है कि सरकार में जनसहभागिता को स्थान प्राप्त हो और शासन–तंत्र अपने कार्यों के प्रति पारदर्शी हों। जनता के जीवन एवं उनके विकास से जुड़ी सूचनाओं को हरसम्भव प्रयत्न कर प्रसारित किया जाए। सूचना प्रदान करने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाए तथा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करना चाहिए जिससे आमजन को सूचना प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना नहीं

करना पड़े। समय पर सूचना उलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे अन्य अधिकारियों को सबक मिल सके। समाज में ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए जिससे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारों तथा कर्त्तव्यों की जानकारी सक्षम रूप से हो सके। विचार–विमर्श, सभा–सम्मेलन के माध्यम से, मीडिया, सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के प्रयास से आमजन के जानकारी के स्तर को निरन्तर बढ़ावा देना आवश्यक है।

सरकार की भूमिका को विस्तृत एवं सुनिश्चित करना

सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। अतः सरकार द्वारा इस हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए –

1. सरकार द्वारा जनता को उनके विकास कार्यक्रमों की सूचना हरसम्भव प्रयास कर प्रसारित की जाए।
2. सरकार में जनसहभागिता को स्थान प्राप्त हो।
3. सूचनाओं को स्वतः प्रदान करना प्रशासन का अनिवार्य अंग बनाएं।

6. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करवाएं जाएं।

4. सूचना समय से उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे अन्य अधिकारियों को इससे सबक मिल सके।
5. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित मार्गदर्शिका को स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाएं।

7. सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, जिससे सूचना प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।
8. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद, पता एवं सम्पर्क नम्बर नोटिस बोर्ड पर लिखवाए जाएं साथ ही सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा आवेदन शुल्क की जानकारी भी प्रदर्शित की जाए।
9. शासन तंत्र अपने कार्यों के प्रति पारदर्शी हो।

सूचना के अधिकार को अनेक पड़ावों से होकर गुजरना है। जब तक इसके सिद्धांत और व्यवहार में समन्वय नहीं देखने को मिलेगा तब तक इसकी यथोचित सार्थकता सिद्ध नहीं होगी।

सूचना के अधिकार से सम्बन्धित नियमों एवं अधिनियमों की भाषा सरल की जाए

वर्तमान में जो विधियां एवं कानून हैं, उनकी भाषा अत्यन्त क्लिष्ट है, जो साधारणजन ही नहीं कई बार उच्च शिक्षित व्यक्तियों के समझ से भी परे होती है। अतः अधिकारों को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से निकालकर व्यावहारिक बनाया जाए जिससे उन्हें उचित रूप में समझ सकने में सक्षम हो सके।

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका को बढ़ावा

गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) अधिकारों की जानकारी एवं जागरूकता को बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त करने का एक महत्त्वपूर्ण घटक हैं। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार व कानूनी पेचीदगियों से जुड़े मामलों का समाधान कर एक सहायक एवं प्रेरक का कार्य बखूबी ढंग से कर सकते हैं। समन्वयकर्ता के रूप में संगठन एक ऐसा मच उपलब्ध करवाने की योग्यता रखते हैं।

कानूनों के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाना

कानूनों का निर्माण उतना आवश्यक है, जितना बने हुए कानूनों का क्रियान्वयन एवं उन्हें व्यवहार में लाना। अतः आवश्यकता है कि बने हुए कानूनों के प्रति संवेदनशील होकर उन्हें प्रयोग में लाने हेतु प्रशासन को जागरूक किया जाए।

सूचना के अधिकार हेतु स्वतंत्र विभाग बनाया जाए

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो गया है परन्तु इसकी बागडोर अभी भी नौकरशाही के हाथों में ही है, जिसके कारण इसका प्रभाव परिलक्षित नहीं हो रहा है। इन्हीं कारणों से आवश्यक बन जाता है कि सूचना के अधिकार के संचालन हेतु स्वतंत्र विभाग का गठन किया जाए, जिसकी नियुक्तियों, कार्यों एवं शक्तियों की अलग संरचना बनायी जाए। जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम को नौकरशाही की प्रवृत्ति से हटाकर आमजन तक इसकी पहुँच बनायी जा सके और आमजन को उनके सूचना का अधिकार सहज ही प्राप्त हो सके तथा शासन में सूचना के अधिकार अधिनियम के सिद्धांतों को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा सहभागिता को लागू किया जा सके तथा सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना की जा सके।

नवीन तकनीक का ज्ञान तथा सूचनाओं तक सरलतापूर्वक पहुँच

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को ई–शासन अर्थात् इलैक्ट्रोनिक शासन के रूप में मनाया गया है। ई–शासन की बुनियादी अवधारणा का अर्थ है कि शासन सम्बन्धी कामकाज में सूचना तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे जवाबदेह, पारदर्शी, सरल तथा जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला शासन व्यवस्था का निर्माण हो सके। केन्द्र सरकार के साथ राज्यों में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं एवं

प्रत्येक राज्य के प्रज्येक जनपद को ई–शासन से जोड़ा जा रहा है। यहाँ ई–शासन के तहत ई–जिला योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र, शिकायत एवं सूचना अधिकार, जन वितरण प्रणाली, पेन्शन विनिमय, खतौनी, राजस्ववाद से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ई–शासन एवं सामान्य शासन एवं प्रशासन सम्बन्धी कामकाज में सूचना तकनीक के अधिकाधिक इस्तेमाल से जवाबदेही, संवेदनशील एवं पारदर्शी शासन हासिल किया जा सकता है। सूनचा के अधिकार की सफलता एवं पारदर्शी शासन हासिल किया जा सकता है। सूचना के अधिकार की सफलता हेतु ई–शासन शीघ्र, ठोस, विस्तृत तथा जनव्यापी होना आवश्यक है।

सूचना तकनीक का प्रयोग जैसे कार्यालयों में कम्प्यूटरों का प्रयोग, स्थानीय नेटवर्क कायम करना, विभागों की वेबसाइट्स को जारी करने से नागरिकों एवं सरकार के मध्य सम्पर्क के सुविधाजनक मार्ग विकसित हुए हैं। किन्तु मुख्य चुनौती ऐसी रणनीति को अपनाना है जिससे गाँव के गरीब एवं आमजन की सूचना तक पहुँच सम्भव हो सके तथा सरकारी कार्यों मे नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अतः ई–शासन इस दिशा में महत्त्वपूर्ण, व्यावहारिक एवं सराहनीय प्रयास माना जा सकता है जिससे सूचना के अधिकार के द्वारा सुशासन लाने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि आज के लोक कल्याणकारी, प्रजातांत्रिक एवं जवाबदेय शासन व्यवस्थाओं के लिए सूचना का अधिकार एक अपरिहार्य वैधानिक बाध्यता बन चुका है। प्रशासनिक नवाचार एवं सुधार हेतु सूचना का अधिकार ब्रह्मास्त्र का कार्य कर रहा है। यह न केवल प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता तथा जवाबदेयता सुनिश्चित करता है अपितु प्रशासनिक निर्णयों में तार्किकता तथा तटस्थता को भी बढ़ाता है। अतः इसकी व्यावहारिक उपयोगिता को बनाने हेतु इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

संदर्भ

आचार्य, एन.के., ”कमेन्टरी ऑन द राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005”, एशिया लॉ हाउस, हैदराबाद, 2007

बंसल, जे.पी., ”राइट टू नो”, प्रशासनिक 23(2), जून–दिसम्बर, 1996

भट्टाचार्य, अजीत, ”राइट टू इन्फोर्मेशन”, हिन्दुस्तान टाइम्स, 10 अगस्त, 1996

चौहान, डॉ. शरद एस., ”सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”, दि ब्राइट लॉ हाउस, नई दिल्ली, 2006

फड़िया, डॉ. बी.एल., "लोक प्रशासन", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2006

गालवा, डॉ. हनुमान, "आम आदमी और सूचना का अधिकार", पोपुलर प्रिंटर्स प्रकाशन, जयपुर, 2008

केजरीवाल, अरविंद, "अपेक्षा और चुनौतियां", सूचना का अधिकार, यूनीक ट्रेडर्स, जयपुर, 2007

कटारिया, डॉ. सुरेन्द्र, "भारतीय लोक प्रशासन", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2008

कलाम, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल, "सूचना के अधिकार में राष्ट्रीय ई–शासन ग्रिड सूचना का अधिकार", यूनीक ट्रेडर्स, जयपुर, 2007

मेहता, चतरसिंह, "सूचना का अधिकार", यूनीक ट्रेडर्स, जयपुर, 2007